



केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम
KENDRIYA VIDYALAYA JYOTIPURAM
जिला रियासी(जम्मू व कश्मीर)/Distt - Reasi(J&K)-182312
दूरभाष/Telephone - 01991-255690(O), फैक्स /Fax - 01991-255691
वेबसाइट/Website - https://jyotipuram.kvs.ac.in/
ई-मेल/E-Mail - principalkvjyt@gmail.com



फा.240/1682/के.वि.ज्योतिपुरम/2023-24/

दिनांक: 31.07.2023

कार्यालय आदेश

सहायक आयुक्त (सतर्कता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक फा. स. 11-55/2000 केविस. (सतर्कता) पीटी-1/1311-135 दिनांक: 05.03.2019 के आलोक में दिनांक: 09 दिसम्बर 2013 से प्रभावी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन" सम्बंधी शिकायतों के निपटान के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों दिनांक 27.05.2019 के अतिक्रमण में एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू के पत्र क्रमांक एफ.24061/2022/के.वि.स.(जम्मू सम्भाग)प्रशा-9477-9514 दिनांक 27.07.2023 की अनुपालना में केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम में "आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.)" को संशोधित निम्न प्रकार से किया गया है :-


क्रमांक	नामित किए गये सदस्य का नाम	नामावली	अधिकार क्षेत्र
1.	श्रीमती स्वाति अग्रवाल, सहायक आयुक्त के.वि.स. क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून एवं पीठासीन अधिकारी "आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.)" के.वि.स. क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू	पीठासीन अधिकारी	केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम में कार्यरत सभी कर्मचारियों (प्राचार्य, उप-प्राचार्य, हेड मास्टर को छोडकर) के विरुद्ध प्राप्त "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन" सम्बंधी शिकायतों की जाँच करना।
2.	श्रीमती शेफाली शर्मा (एडवोकेट) वी केयर सोसायटी, रियासी	गैर-सरकारी संगठन सदस्य (NGO Member)	
3.	श्री राम स्नात्कोत्तर शिक्षक (भौतिक विज्ञान) केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम	सदस्य	
4.	सुश्री अंकिता सिंह प्रशि. स्नातक शिक्षक(गणित) केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम	सदस्य	
5.	श्रीमती सुनीता कंचन जॉइन्ट डायरेक्टर चीफ प्लानिंग ऑफिसर रियासी (VMC Member)	सदस्य	

टिप्पणी:-

1. सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जाएगा कि इस तरह नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिला होंगे।
2. पीठासीन अधिकारी सहित आंतरिक शिकायत समिति के सभी सदस्य उनको नामित किए जाने की तिथि से तीन वर्षों से अधिक कार्य नहीं करेंगे।
3. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन सम्बंधी शिकायतों की जाँच सखती के साथ निर्धारित प्रक्रिया, अधिनियम में निर्धारित कालानुक्रम तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाए।

वितरण:-

1. समिति पदाधिकारी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. समिति के सदस्य/ गैर-सरकारी संगठन सदस्य (NGO Member) सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. उपायुक्त महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर जम्मू को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण, केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम के सूचनार्थ।


PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम
KENDRIYA VIDYALAYA JYOTIPURAM



F.240/1682/KV.Jyotipuram/2023-24/

Dated: 31.07.2023

OFFICE ORDER

In suppression of this office orders dated 27.05.2019 and in compliance with KVS(Hqrs) New Delhi letter no. F.11-55/2000 KVS. (Vigilance) PT-I/1311-135 Dated: 05.03.2019 and In the light of dated: 09th December 2013 order regarding the settlement of complaints related to the "Sexual Harassment of Women at Workplace" as per the provisions and In pursuance of order issued by Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office Jammu with Letter No. F.24061/2022/KVS(Jammu Region)Admn-9477-9514 dated 27.07.2023, the "Internal Complaints Committee (ICC)" in Kendriya Vidyalaya Jyotipuram has been revised as follows:-

Sr.No.	Name and Designation	Internal Committee members as	Jurisdiction
1.	Mrs.Swati Agrawal , Assistant Commissioner K.V.S. Regional Office Dehradun & Presiding Officer "Internal Complaints Committee (ICC)" KVS. Regional Office Jammu	Presiding Officer	To inquire into the complaints of "sexual harassment of women at workplace". against all the employees (except Principal, Vice-Principal, Head Master) working in Kendriya Vidyalaya Jyotipuram.
2.	Smt. Shefali Sharma (Advocate) We Care Society, Reasi	NGO Member	
3.	Shri Ram PGT (Physics) Kendriya Vidyalaya Jyotipuram	Member	
4.	Ms. Ankita Singh TGT (Mathematics) Kendriya Vidyalaya Jyotipuram	Member	
5.	Mrs. Sunita Kanchan Joint Director Chief Planning Officer Reasi (VMC Member)	Member	

Note:-

- 1.The composition of Internal Complaints Committee at all levels will be subject to the condition that half of the members so nominated shall be women.
2. All the members of the Internal Complaints Committee including the Presiding Officer shall hold Office not exceeding three years from the date of their nomination.
3. The enquiry into the complaints regarding sexual harassment of women at workplace is to be conducted strictly as per the procedure and timelines prescribed in the Act and guidelines issued from time to time by the Government of India.

Distribution:-

1. Committee officers for information.
2. Members of the Committee /NGO Member for information.
3. The Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office, Jammu for information.
4. All the officers/employees of the Kendriya Vidyalaya Jyotipuram for information.

K. Lak
Principal
31-07-23
केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम
KENDRIYA VIDYALAYA JYOTIPURAM